



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102022-239424
CG-DL-E-07102022-239424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4544]

No. 4544]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 6, 2022/ आश्विन 14, 1944

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4754(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिपुरा राज्य में के इउ #10 से कुंजबन मेनिफोल्ड तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी आवश्यक है।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाये।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोगता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उप-धारा (1)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जब से इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन

लिमिटेड, ओएनजीसी बेस कॉम्प्लेक्स, बदरघाट, अगरतला, त्रिपुरा 799014 । त्रिपुरा को लिखित रूप से आपत्ति भेज सकता है।

प्रत्येक भूखंड के खिलाफ दिखाया गया क्षेत्र पहले अधिसूचित क्षेत्र संख्या 82 दिनांक 06.01.2020 और क्षेत्र संख्या 2542 दिनांक 09.07.2021 के अतिरिक्त है।

मौजा: इन्द्र नगर

जिलापश्चिम : त्रिपुरा

उपइन्द्र नगर : संभाग-

तहसीलसदर :

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि पि धारा कि उपदारा .पि.एम.3(1) के अतर्गत सम्मिलित किया गया है।

भूमि की भूमि अनुसूची:-

क्र.सं .	खसरा सं	प्लॉट सं	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	3227	7924/p	नाल	0.01
2	3227	7925/p	नाल	0.05
3	11163	7923/21199/p	नाल	0.02
4	5333	11265/p	नाल	0.10
कुल				0.18

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/60/2022- इएक्सपीएल-1-पीएनजी) (इ-44318)]

आर. के. कुशील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2022

S.O. 4754(E).— Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from **KU#10 to Kunjaban Manifold** a pipeline should be laid in the state of Tripura by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed here to;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty- one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, ONGC Base Complex, Badharghat, Agartala, Tripura-799014.

Area shown against each plot is in addition to the area notified earlier Vide No. 82 dated 06.01.2020 and Vide No. 2542 dated 09.07.2021.

Mouza: Indra Nagar**District: West Tripura****Tehsil : Indra Nagar****Sub- Division: Sadar**

The following Schedule of Additional Plots & Area have been included / increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act 1962

Schedule of Additional Land :-

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Area in Acre
1	3227	7924/p	Nal	0.01
2	3227	7925/p	Nal	0.05
3	11163	7923/21199/p	Nal	0.02
4	5333	11265/p	Nal	0.10
Total				0.18

[F. No. Expl-11032(11)/60/2022-EXPL-I-PNG) (E- 44318)]

R. K. KUREEL, Director